जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बालोद (छ.ग.)

न्यू बस स्टैण्ड के पीछे, गुरूकुल स्कूल वाली गली, बालोद
संपर्क :- 07749-223948 Email:- dtic-balod.cg@gov.in

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग, छ.ग. शासन

औद्योगिक नीति 2019-24

जिला बालोद हेतु आर्थिक निवेश प्रोत्साहन

1.स्थायी पूंजी निवेश अनुदानः- न्यूनतम 35%,अधिकतम सीमा रु. 60 लाख।
2.ब्याज अनुदानः- सावधि ऋण पर न्यूनतम 7 वर्ष तक 55%,अधिकतम सीमा रु. 25 लाख वार्षिक।
3.स्टाम्प शुल्क से छूट :-(अ) भूमि,शेड तथा भवनों के क्रय/पट्टे/लीज (ब) ऋण-अग्रिम संबंधित विलेखों
(स) निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु क्रय/पट्टे पर ली जाने वाली भूमि पर
(द) फिल्म, एडिटिंग स्टूडियो,लॉजिस्टिक हब, वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेज एवं ग्रेन साइलो की स्थापना हेतु क्रय/ पट्टे पर ली गई भूमि पर।
4. विद्युत शुल्क छूट :- न्यूनतम 6 वर्षों तक पूर्ण छूट।
5. मंडी शुल्क से छूट :- 5 वर्ष तक पूर्ण छूट,अधिकतम सीमा रु. 2 करोड़ ।
6.मार्जिन मनी अनुदानः- नवीन उद्योगों हेतु 20%अनुदान,अधिकतम सीमा रुपये 50 लाख।
7.नेट राज्य वस्तु एवं सेवा कर (SGST) प्रतिपूर्ति :- न्यूनतम 8 वर्षों तक नेट SGST की प्रतिपूर्ति, अधिकतम सीमा स्थायी पूंजी निवेश के 45% तक।
8. परियोजना प्रतिवेदन अनुदान :- स्थायी पूंजी निवेश का 1%,अधिकतम रुपये 2.50 लाख।
9.भू-उपयोग में परिवर्तन शुल्क में छूटः- अधिकतम 5 एकड़ भूमि के लिए डायवर्सन शुल्क में 50% छूट।
10. दिव्यांग (निःशक्त) रोजगार अनुदान।
11. गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदानः- 50% राशि,अधिकतम रुपये 5 लाख।
12. तकनीकी पेटेन्ट अनुदानः- प्रत्येक पेटेन्ट हेतु 50% राशि, अधिकतम रु.10 लाख।
13. प्रौद्योगिकी क्रय अनुदान :- 50%,अधिकतम रु.10 लाख ।
14. औद्योगिक पुरस्कार योजना
15. औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर (भूमि बैंक) भू-आवंटन सेवा शुल्क में रियायत।
16. ST/SC वर्ग के उद्यमियों को औद्योगिक क्षेत्रों में भू-आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट /रियायत।
17. इन्वॉयरमेंट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट अनुदान (पर्यावरणीय प्रोजेक्ट प्रबंधन अनुदान)।
18. परिवहन अनुदान (केवल निर्यातोन्मुख उद्योगों हेतु)।
19. मेगा/अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट्स हेतु विशेष पैकेज ।
20. औद्योगिक क्षेत्रों/औद्योगिक पार्कों में भू-आबंटन पर भू-प्रीमियम में छूट/रियायत

*** स्टार्ट-अप तथा अनुसूचित जनजाति/जाति वर्ग हेतु विशेष औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज ***

विभागीय वेबसाईट www.industries.cg.gov.in

य सहायता/अनुदान की जानकारी हेतु कार्यालय में संपर्क करें।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

ऋण की अधिकतम सीमा
उद्योग हेतु रूपये 50 लाख
सेवा कार्य हेतु रूपये 20 लाख

लाभार्थियों की श्रेणी	स्वयं का अंशदान	अनुदान	
		शहरी	ग्रामीण
सामान्य वर्ग	10%	15%	25%
SC/ST/OBC/अल्पसंख्यक/महिला/दिव्यांग/भू.पू. सैनिक	5%	25%	35%

ऑनलाईन आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज

1. प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2. पासपोर्ट फोटो
3. आधार कार्ड (अनिवार्य) व पैन कार्ड
4. जाति प्रमाण पत्र एसडीएम(राजस्व) द्वारा जारी
5. नगर पंचायत/ ग्राम पंचायत का अनापत्ति एवं जनसंख्या प्रमाण पत्र
6. अंकसूची तथा तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र (न्यूनतम आयु 18 वर्ष)

शैक्षणिक योग्यता:- उद्योग हेतु रु. 10 लाख और सेवा क्षेत्र हेतु रु. 5 लाख से अधिक की परियोजना के लिए न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण।

PMEGP द्वितीय ऋण योजना

उद्यमी का अंशदान:-10% अनुदान:- 15%

प्रस्तावित विस्तार/उन्नयन हेतु परियोजना लागत की अधिकतम सीमा :-

1) विनिर्माण इकाई के लिए रु. 1 करोड़ ।
2) सेवा क्षेत्र की इकाई के लिए रु. 25 लाख ।

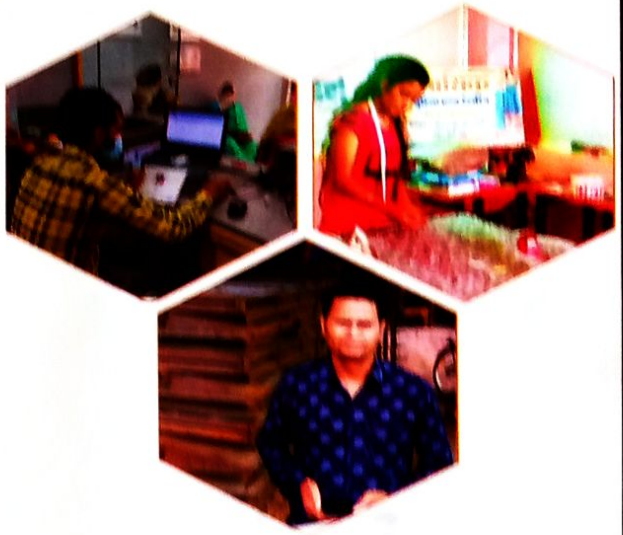

आवश्यक दस्तावेज

1. पिछले ऋण के विरूद्ध प्राप्त मार्जिन मनी राशि समायोजन एवं पूर्ण ऋण अदायगी का बैंक प्रमाण पत्र।
2. इकाई के विस्तार एवं उन्नयन हेतु परियोजना प्रतिवेदन (अतिरिक्त निवेश एवं अतिरिक्त रोजगार सृजन सहित)
3. चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा प्रमाणित पिछले 03 वर्षों का बैलेंस शीट
4. बैंक द्वारा जारी पिछले ऋण का स्वीकृति पत्रक।
5. पासपोर्ट साईज फोटो । 6. GST पंजीयन।
7. पिछले 03 वर्षों का आई.टी.रिटर्न। 8. उद्यम पंजीयन।
9. नया कर्ज देने हेतु बैंक का सहमति पत्र।

ऑनलाईन आवेदन हेतु वेबसाईट
www.kviconline.com/pmegpeportal
(आवेदन फॉर्म में Agency- DIC सेलेक्ट करें)

नकारात्मक कार्यों की सूची

(1) मांस (वध) से जुड़ा कोई भी उद्योग/व्यवसाय, अर्थात प्रसंस्करण,डिब्बाबंदी और/या इससे बनी वस्तुओं का उत्पादन, बीड़ी/पान/सिगरेट आदि नशीली वस्तुओं की बिक्री/उत्पादन, कोई भी शराब परोसने वाले होटल या ढाबा या बिक्री आउटलेट, कच्चे माल के रुप में तंबाकू तैयार करना/उत्पादन करना, बिक्री के लिए ताड़ी का दोहन।
(2) पर्यावरण या सामाजिक-आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए स्थानीय सरकार/प्राधिकारियों द्वारा निषिद्ध गतिविधियां।
(3) 120 माइक्रॉन से कम मोटाई के पॉलीथिन कैरी बैग का निर्माण, खाद्य सामग्री के भंडारण, ले जाने,वितरण या पैकेजिंग के लिए पुनर्नवीनीकृत प्लास्टिक से बने कैरी बैग या कंटेनरों का निर्माण और कोई अन्य वस्तु जो पर्यावरणीय समस्याओं का कारण बनती है।
(4) चाय, कॉफी, रबड़ आदि जैसे फसलों/रोपणी की खेती से जुड़े किसी भी उद्योग/व्यवसाय, रेशम उत्पादन (कोकून पालन), बागवानी, फूलों की खेती, पशुपालन की कोई अनुमति नहीं होगी।

सकारात्मक कार्यों की सूची

(1) होटल/ढाबों में मांसाहारी भोजन परोसने/बेचने की अनुमति होगी।
(2) रेशम पालन, चाय/कॉफी/रबर आदि की बागवानी, फूलों की खेती आदि से संबंधित ऑफ फार्म/फार्म लिंक्ड गतिविधि व मूल्य संवर्धन की अनुमति होगी।
(3) पशुपालन अंतर्गत निम्नलिखित को भी अनुमति दी जाएगी:-
(अ) डेयरी दूध और अन्य डेयरी उत्पाद:-गाय,भेड़,बकरी,ऊंट,भैंस,घोड़े के माध्यम से।
(ब) अंडे और मांस हेतु:- मुर्गियां, टर्की, हंस, बत्तख आदि पालन।
(स) जलीय कृषि:- मछली, मोलस्क, क्रस्टेशियस और जलीय पौधों सहित जलीय जीवों की खेती।
(द) कीड़े:- मधुमक्खी, रेशम उत्पादन आदि।

कार्यालय महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, बालोद (छ.ग.)
पता-न्यू बस स्टैण्ड के पीछे,
गुरुकुल स्कूल वाली गली,बालोद
संपर्क :- 07749-223948
Email:- dtic-balod.cg@gov.in

किसी भी प्रकार के स्वरोजगार इकाई की स्थापना हेतु शासकी

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MMYSY)

आवेदन करने हेतु आयु सीमा सामान्य वर्ग पुरुष हेतु 18 वर्ष से 35 वर्ष
महिला व अन्य वर्गों हेतु 18 वर्ष से 40 वर्ष

ऋण की अधिकतम सीमा उद्योग हेतु रुपये 25 लाख
सेवा कार्य हेतु रुपये 10 लाख
व्यवसाय हेतु रुपये 2 लाख

मार्जिन मनी अनुदान

हितग्राही का वर्ग	अनुदान की राशि
सामान्य	स्वीकृत परियोजना का 10% (अधिकतम सीमा रुपये 1.00 लाख)
अन्य पिछड़ा वर्ग/अल्पसंख्यक/महिला/दिव्यांग/भूतपूर्व सैनिक/नक्सल प्रभावित	स्वीकृत परियोजना का 15% (अधिकतम सीमा रुपये 1.50 लाख)
अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति	स्वीकृत परियोजना का 25%(अधिकतम सीमा रुपये 1.50 लाख)

आवेदन करने हेतु आवश्यक दस्तावेज (2 सेट में)

1. प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2. पासपोर्ट फोटो 3. आधार कार्ड
4. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति/नि:शक्तजन/भूतपूर्व सैनिक/अल्पसंख्यक/ नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य संबंधी प्रमाण पत्र
5. जन्मतिथि संबंधी प्रमाण पत्र
6. अंकसूची (न्यूनतम आठवीं उत्तीर्ण) व तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र
7. निवास प्रमाण पत्र/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लायसेंस
8. भूमि/भवन किराये पर हो तो किरायानामा कम से कम पांच वर्ष की अवधि के लिए
9. परिवार की वार्षिक आय का शपथ पत्र (अधिकतम आय रु. 3 लाख)
10. मशीनरी/उपकरण/साज-सज्जा हेतु वर्तमान दरों के कोटेशन।

प्रतिबंधित कार्य :- कृषि कार्य/पशुपालन/मांसाहारी खाद्य पदार्थ/नशीले पदार्थो का उत्पादन व बिक्री/120 माइक्रान से कम मोटाई वाले पॉलीथीन निर्माण एवं अन्य प्रतिबंधित कार्य।

औद्योगिक नीति 2019-24 के बिन्दु क्रमांक 15.9 के अनुसार विनिर्माण एवं सेवा उद्यमों को औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन भी दिये जावेंगे।

MSME मंत्रालय द्वारा सुविधाएँ

1. **MSE कलस्टर विकास :- CFC व अधोसरंचना विकास**
2. **IPR सब्सिडी :- पेटेन्ट/डिजाईन/GI/ट्रेडमार्क पर रु. 5 लाख तक सब्सिडी**
3. **मार्केटिंग प्रमोशन योजना:- MSE को प्रदर्शनी/व्यापार मेला/बैठक हेतु सहायता**
4. **CGTMSE:- MSE के लिए 75% गारंटी, रु. 2 करोड तक**
5. **Public Procurement Policy:- न्यूनतम 25% खरीदी MSE से**
6. **ZED प्रमाणीकरण :- Zero Defect Zero Effect**

"सोच ही पूंजी है, उद्यम ही रास्ता है, मेहनत ही समाधान है।"
-डॉ. ए.पी.जे.अब्दुल कलाम
(IGNITED MINDS: Unlishing the Power Within India)

य सहायता/अनुदान की जानकारी हेतु कार्यालय में संपर्क करें।

MOFPI
Visit us on mofpi.nic.in

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

PMFME

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना

(PMFME)

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग: खाद्य सुरक्षा व मूल्य संवर्धन से कमाई का स्त्रोत

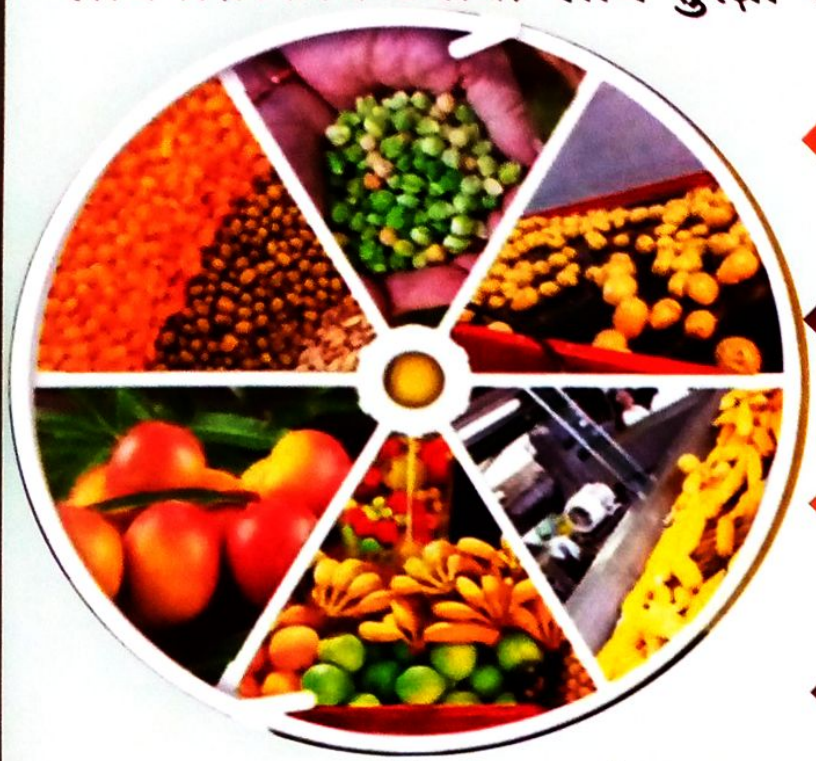

35%- क्रेडिट-लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी

अधिकतम सब्सिडी 10 लाख (व्यक्तिगत)3 करोड़ (समूह)

व्यक्तिगत/स्व-सहायता समूह/किसान उत्पादक संगठन /उत्पादक सहकारी समितियां योजना के तहत पात्र

लाभार्थियों को उत्पाद/EDP/ ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग में प्रशिक्षण

आवेदन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने व आवश्यक रजिस्ट्रेशन में सहायता

नकारात्मक कार्यों की सूची

1. असंसाधित बाजरा/अनाज/मसाले आदि का व्यापार और बिक्री।
2. असंसाधित या खुला दूध (दूध/दही की बिक्री)
3. फलों और सब्जियों का व्यापार और बिक्री
4. असंसाधित लघु वन उत्पाद का व्यापार और बिक्री
5. मधुमक्खी पालन/शहद की खुली बिक्री
6. तेल की खुला बिक्री, व्यापार और पुन: पैकिंग
7. मूंगफली, सुपारी का व्यापार और बिक्री (अपवाद: निर्यात किस्म के किसी भी प्रस्ताव की समीक्षा मामले के आधार पर की जाएगी। ऐसे मामलों के लिए राज्य सरकार को MOFPI से पूर्वानुमति लेनी होगी।)
8. कुक्कुट पालन, सुअर पालन, बकरी पालन या जानवरों की कोई भी पालन गतिविधि
9. ताजी मछली/मांस/चिकन आदि का व्यापार और बिक्री
10. विनिर्मित उत्पादों की रीपैकिंग
11. कैंटीन, किराना, होटल, टिफिन सेवाएं, रेस्तरां या कोई अन्य खाद्य सेवा उद्यम।

आवेदन हेतु वेबसाईट www.pmfme.mofpi.gov.in

किसी भी प्रकार के स्वरोजगार इकाई की स्थापना हेतु शास